राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1600/2025

मीरा देवी जाट —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मिलकपुरा, किशनगढ़ रैनवाल, जयपुर ग्रामीण।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 28.02.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, स्थायी राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक गणित के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मिलकपुरा, किशनगढ़ रैनवाल सांभरलेक, जयपुर ग्रामीण में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भैसलाना, सांभरलेक, जयपुर में किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 3616/2024 प्रस्तुत की। जिसमें माननीय अधिकरण ने दिनांक 10.12.2024 (अनुलग्नक–3) को समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये। जिस पर अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 20.12.2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन पंचायत के नजदीक ग्राम पंचायत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बागावास में वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद रिक्त है तथा सभी तथ्यों का उल्लेख किया है, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी द्वारा निवेदित किसी भी तथ्य पर विचार नहीं करते हुए आलौच्य आदेश दिनांक 10.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को मनगढ़ंत

तथ्यों का उल्लेख करते हुए खारिज कर दिया। प्रत्यर्थी विभाग में अपीलार्थी से पूर्व विद्यालय में नरेन्द्र सिंह यादव वरिष्ठ अध्यापक गणित कार्यरत था, जिसने प्रत्यर्थी विभाग को यह लिखकर दिया था कि मेरा समायोजन अन्य स्थान पर करवाया जावे तथ इस बाबत् सहमति पत्र भी प्रदान किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने लिए नरेन्द्र सिंह यादव के द्वारा सहमति पत्र देने के बावजूद नरेन्द्र सिंह यादव का पदस्थापन नहीं करके अवैध व अनुचित रूप से अपीलार्थी का पदस्थापन किया है (अनुलग्नक–5)। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–6) के बिन्दु संख्या 15(2)(3)(4) के अनुसार अपीलार्थी के नजदीक ग्राम पंचायत बागावास है, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बागावास में वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद रिक्त होने के बावजूद हैरान व परेशान करने के लिए अपीलार्थी को दूरस्थ स्थान पर पदस्थापित किया गया, जो कि आलोच्य आदेश दिनांक 14.11.2024 के विपरीत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2024 एवं 10.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक गणित के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मलिकपुरा सांभरलेक, किशनगढ़ रेनवाल, जयपुर ग्रामीण में ही यथावत पदस्थापित रखा जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्यहित में रिक्त पद पर किया गया है। अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 3616/2024 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्रत्यर्थी विभाग के आख्यात्मक आदेश दिनांक 10.01.2025 के द्वारा अस्वीकार किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। आलोच्य आदेश 06.12.2024 एवं 10.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है।
4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)